नम्बर
हकाम
क्म क
में ज

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत S.D.O. मुकाम बनेडा

पदम कंवर बनाम परमा भील वगैरा

मुकदमा 88, 89, 92 5, 188 नं. 47/10 सन 2018
R.T.A.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	03.05.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बरण में पेश हुई। वादीया अधिवक्ता व समस्त प्रतिवादीगण शिविर के दौरान उपस्थित। प्रकरण विगत 08 वर्षो से वर्तमान में वादीया की शहादत्त प्रस्तुतिकरण के चरण में विचाराधीन है। उभयपक्षो को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का बारीखी से अध्ययन व परिक्षण किया गया। पत्रावली पर प्राप्त राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 हेतु उभयपक्ष पक्षकारान को जारी सूचनापत्रों में से वादीया व प्रतिवादी संख्या 03 का फौत होना अंकित पाया गया। इस पर उपस्थित प्रतिवादीगण को इस संदर्भ मे पूछे जाने पर उनके द्वारा विपक्षी कम 03 का देहान्त 16 वर्ष पूर्व ही, दिनांक 16.07.2002 को हो जाने से न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रमाण में विपक्षी कम 03 का मृत्यु प्रमाण शिविर के दौरान ही प्रस्तुत किया गया। वादीया द्वारा यह वादपत्र दिनांक 09.03.2010 को प्रस्तुत किया गया था, यानि वादीया द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुतिकरण से 08 वर्ष पूर्व ही विपक्षी कम 03 का देहान्त हो चुका था। वादीया अधिवक्ता से इस बाबत एंव इसके अतिरिक्त वादीया के फौत होने की जानकारी भी पुछे जाने पर उनके द्वारा अनभिग्यता जाहिर कर वादीया के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने आशय के प्रार्थनापत्र प्रस्तुतिकरण हेतु असमर्थता दौराने केम्प व्यक्त की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि वादीया पक्ष यह वादपत्र आगे विधिवत चलाये जाने हेतु गंभीर नही है। उपस्थित शेष प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों से यह जाहिर किया कि वादीया द्वारा यह प्रस्तुत वादपत्र दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावें। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण पाये जाने से इसी स्तर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला	नि. प. नि. लक्ष्मीलाल